फॉर्म नंबर 15

[सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसार]

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा

केंद्र सरकार के कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 तथा कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

तथा

मेसर्स ओमिचेफ़ कुकवेयर एलएलपी के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-23, ग्राउंड फ्लोर, रामपुरी, सेक्टर-VII, ब्लॉक-ए, कॉम्प्लेक्स, चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011 है।

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 13(3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर को एक याचिका दाखिल करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को **"आरओसी कानपुर"** से **"आरओसी" दिल्ली"** में बदलने की अनुमति मांगी जाती है

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक से भेज सकता है और विरोध का आधार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कानपुर को एक हलफनामा देकर समर्थित है, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय में ऊपर उल्लिखित पते पर भेजनी होगी।

कृते

मेसर्स ओमीशेफ कुकवेयर एलएलपी

ह०

दिनांक: 05-07-2024 **शुभम गुप्ता**

स्थान: उत्तर प्रदेश **नामित भागीदार**

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष
कम्पनी याचिका सं. सीपी (सीएए)–07 / (एएलडी) / 2024
सम्बद्ध
कम्पनी आवेदन सं. सीए
(सीएए)–10 / (एएलडी) / 2023
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और

गोयल मिल प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी–1 / याचिकाकर्ता कम्पनी–I)
और

गोयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरिती कम्पनी–2 / याचिकाकर्ता कम्पनी–II)
और
उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार

याचिका की सूनवाई की सूचना

याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत गोयल मिल प्राइवेट लिमिटेड, के साथ गोयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच समामेलन की योजना के अनुमोदन के लिए कम्पनी आवेदन सं. (सीएए)–10 / (एएलडी) / 2023 के सबंध सम्बद्ध कम्पनी याचिका सं (सीएए)–07 / (एएलडी)–2024 ("याचिका") दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को प्रस्तुत की गई थी और माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद ("अधिकरण") द्वारा 16 मई, 2024 को इस पर सुनवाई की गई तथा 16 मई, 2024 को आदेश अपलोड किया गया। माननीय अधिकरण के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की तिथि 25 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है।

कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो वह याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता और / या याचिकाकर्ता कंपनियों को अपने आश्रय की सूचना, अपने नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन या उससे पहले उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के नीचे दिये गये पते पर या पंजीकृत कार्यालय 109, धर्मशाला बाजार, गोयल गली, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273001 पर भेज सकता है। यह माना जाएगा कि योजना की मंजूरी पर कोई आपत्ति नहीं है और माननीय न्यायाधिकरण इस मामले में आगे बढ़ेगा। जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की प्रति उक्त याचिका की अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर या उससे पहले निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसकी आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता / –
स्थान : गोरखपुर आर गोयल एण्ड एसोसिएट्स
दिनांक : 05.07.2024 कंपनी सचिव
याचिकाकर्ता कम्पनियों के अधिवक्ता
109, धर्मशाला बाजार, गोयल गली,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273001
ई–मेल : csrahulgoel@gmail.com

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031

दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुगतेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकेत हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	41520949 तथा 86118455	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. क्राउन कार्गो मूवर्स, प्रोप. हरप्रीत सिंह 2. हरप्रीत सिंह 3. तरवीन कौर	30.04.2024	2,05,82,964.20/-	संपत्ति संख्या एसी / 6 के द्वितीय तल (छताधिकारों के बिना) के समस्त वह भाग तथा अंश, जो प्लॉट संख्या 6 पर निर्मित, मापन 291.2 / 3 वर्ग गज, प्रवेश / गेट स्टेट केस, उपमार्ग का उपयोग करने के सामान्य अधिकारों के साथ, चौखंडी गांव के क्षेत्र, कॉलोनी जिसे गंगा राम वाटिका के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली–110015 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : **पूर्व– सड़क 36 फुट, पश्चिम– संपत्ति सं. एसी / 5, उत्तर– सर्विस लेन 15 फुट, दक्षिण– सड़क 45 फुट।**
2.	99853293	गृह ऋण	1. कमलेश गजेंद्र, कमलेश गजेंद्र (स्वर्गीय गजेंद्र सैनी के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की क्षमता में) 2. नितिन सैनी, नितिन सैनी (स्वर्गीय गजेंद्र सैनी के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की क्षमता में)	30.04.2024	20,27,256.99/-	हस्तांतरण विलेख संख्या 5112 दिनांक 17.11.2022 और वर्ष 2019–2020 के लिए नवीनतम जमाबंदी के अनुसार संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, भूमि माप 0 कनाल 4.25 मरला (128 वर्ग गज) यानी भूमि का 1 / 120वां हिस्सा माप 25 कनाल 11 मरला, जो खेवट नंबर 2158 मिन., खतौनी संख्या 2268 मिन. में समाविष्ट, जिसका खसरा संख्या 44 / / 12 (8–0), 13(8–0), 14 / 2 (5–11), 19 / 1,(4–0) है जो मौजा दादरी, तहसील और जिला चरखी दादरी, हरियाणा–127306 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– **पूर्व– खाली प्लॉट (35 फुट 0 इंच), पश्चिम– गजेंद्र पुत्र फूल सिंह की भूमि (35 फुट 0 इंच), उत्तर– रास्ता 18 फुट चौड़ा (33 फुट 0 इंच), दक्षिण– गजेंद्र पुत्र फूल सिंह का घर (33 फुट 0 इंच)।**
3.	105465494	गृह ऋण	1. केवलचंद मुन्नीलाल 2. मोनू केवलचंद	29.05.2024	5,29,448.61/-	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 4 मरला, 1 सरसई, (125.72 वर्ग गज), (2 मरला 6 सरसई 37 / 1755, 6 कनाल 9 मरले का हिस्सा, खेवट संख्या 21, खतौनी संख्या 21 डब्ल्यूए 22, किता 3, इंतकाल नं. 1309 में समाविष्ट), (1 मरला 4 सरसई, 37 / 1775 जो 3 कनाल 6 मरले का हिस्सा, खेवट संख्या 16, खतौनी संख्या 10, किता 1, इंतकाल संख्या 1309, हदबस्त संख्या 31, में समाविष्ट जमाबंदी वर्ष : 2018–2019, वाका रकबा, गाँव : करिया, तहसील : अटेली, जिला : महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हरियाणा–123021 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– **पूर्व– 27 फुट गली 6 फुट चौड़ी, पश्चिम– 27 फुट, गली 20 फुट चौड़ी, उत्तर– 41 फुट 6 इंच, सुधीर का खाली प्लॉट, दक्षिण– 41 फुट 6 इंच, सुधीर का खाली प्लॉट।**

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुगतेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता. / –
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 06–07–2024 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली / राराक्षे **(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

BANSAL

(Please scan this QR Code to view this Corrigendum)

BANSAL WIRE INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name of "Bansal Wire Industries Private Limited" on December 11, 1985, under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the RoC. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Board at its meeting held on September 5, 1995 and a special resolution passed by our Shareholders at their annual general meeting held on September 29, 1995, and the name of our Company was changed to "Bansal Wire Industries Limited", and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from a private limited company to a public limited company was issued by the RoC on November 13, 1995. For further details of change in the name of our Company and the Registered Office, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 231 of the red herring prospectus of our Company dated June 27, 2024 filed with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi ("**RoC**") ("**Red Herring Prospectus**" or "**RHP**").

Registered and Corporate Office: F-3, Main Road, Shastri Nagar, Delhi-110052 | **Telephone:** 011-2365 1891/92/93
Contact Person: Sumit Gupta, Company Secretary and Compliance Officer | **Website:** www.bansalwire.com, **Email:** investorrelations@bansalwire.com
Corporate Identity Number: U31300DL1985PLC022737

OUR PROMOTERS: ARUN GUPTA, ANITA GUPTA, PRANAV BANSAL AND ARUN KUMAR GUPTA HUF

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [●] EQUITY SHARES* OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF BANSAL WIRE INDUSTRIES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 7,450 MILLION (THE "ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 5 EACH. THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

NOTICE TO INVESTORS: CORRIGENDUM TO THE ISSUE ADVERTISEMENTS DATED JULY 2, 2024, JULY 3, 2024 AND JULY 4, 2024 (THE "CORRIGENDUM")

This Corrigendum is with respect to the price band advertisement and statutory advertisement dated June 27, 2024 and Issue advertisements dated July 2, 2024, July 3, 2024 and July 4, 2024 published in all editions of Financial Express (a widely circulated English daily national newspaper) and all editions of Jansatta (a widely circulated Hindi national daily newspaper, Hindi also being the regional language of New Delhi, where our Registered Office is situated) ("Issue Ads") in relation to the Issue. Investors may note the the working capital requirements of our Company for the last three Fiscals, i.e., Fiscal 2024, Fiscal 2023 and Fiscal 2022 in the risk no. 3 of the "*Risk to Investors*" of the Issue Ads had been inadvertently mentioned as ₹2,049.26, ₹2,847.72 and ₹ 2,109.88, respectively, instead of ₹2,049.26 million, ₹2,847.72 million and ₹ 2,109.88 million, respectively. Accordingly, the risk no. 3 of the "*Risk to Investors*" of the Issue Ads shall be read as follows:

"Substantial working capital requirements: For past three fiscals, i.e., Fiscal 2024, 2023 and 2022, we have working capital requirements of ₹2,049.26 million, ₹2,847.72 million and ₹ 2,109.88 million and may require additional financing to meet the working capital requirements. Substantial increase in our working capital requirements or our inability to obtain financing at favorable terms could have a material adverse effect on our results of operations, cash flows and financial condition."

The information in this Corrigendum modifies and updates the information in the Issue Ads, and the Issue Ads should be read in conjunction with this Corrigendum.

All capitalized terms used in this Corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the RHP.

For Bansal Wire Industries Limited
Sd/-
Sumit Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: July 05, 2024

Bansal Wire Industries Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated January 18, 2024 with SEBI on January 19, 2024 and the RHP dated June 27, 2024 with the RoC. The RHP is available on the website of the Company at www.bansalwire.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e. www.sbicaps.com and www.damcapital.in and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see "*Risk Factors*" of the RHP, on page 34. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but can only rely on the information included in the Red Herring Prospectus.

This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares offered in the Issue may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares offered in the Issue are not being offered or sold in the United States.

Adfactors

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई–600015
क्षेत्रीय कार्यालय: द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी/जी–2/2 एवं टीसी/जी–5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010

आरआरएम–पंकज सिंह चौधरी–7081828333, आरएलएम–अरुण कुमार सिंह–9506011777, सीआरएम–दीपक कुमार–9839600666 एवं सीएलएम–यामिनी बौराई–8960801850

ई–नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV A) (नियम 8(6))

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) जिसका कॉर्पोरेट कॉर्या : 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600015 और शाखा कार्यालय: द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी / जी–2 / 2 एवं टीसी / जी–5 / 5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010, को बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के तहत। जबकि एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों / सभाव्य सं. में निम्नलिखित संपत्ति को बेचने के अधिकार के साथ कब्जा कर लिया था। बकाया राशि की वसूली हेतु **'जैसा है, जहां है, जो कुछ भी है** के आधार पर बेचा जा रहा है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://bankauctions.in/.** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ई–नीलामी की तिथि/समय: 05.08.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 02.08.2024 को अपराह्न 05.00 बजे तक
सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि 31.07.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम /	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियां / प्रतिभूति आस्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य (आरपी) / जमा धरोहर राशि (ईएमडी) / आरपी का 10 प्रतिशत / बोली वृद्धि राशि
1	ऋण खाता नं. UP/LKW/LKNW/A000000390 1. श्री शानू रस्तोगी पुत्र सुरेश कुमार रस्तोगी (उधारकर्ता) 2. श्री सुरेश रस्तोगी (सह–उधारकर्ता) 3. श्री कंचन रस्तोगी (सह–उधारकर्ता)	08/09/2023 रु. 47,71,045/- अतिरिक्त अतिदेय शुल्क और अतिरिक्त ब्याज के साथ रु. 47,71,045/- दिनांक 26.08.2023 तक कुल बकाया राशि	फ्लैट नं. 105, प्रथम तल, "सुखराज टॉवर" कल्याणपुर, लखनऊ–226022, प्लॉट नं. 3,4,5 पर निर्मित (मिनजुमला) खसरा नं. 418 का हिस्सा, बटहा सबावली लाला लाजपत राय वार्ड, जिला लखनऊ, उप–रजिस्ट्रार सदर चतुर्थ लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल 112.45 वर्ग मी., चौहद्दी: पूरब में – खुला आसमान और पश्चिम में – आम रास्ता फ्लैट नं. 104 / 106, उत्तर में – आम रास्ता फ्लैट नं.107, दक्षिण में – आम रास्ता फ्लैट नं.106	17-02-2024	₹ 34,20,000/- / ₹ 3,42,000/- / ₹ 10,000/-

भुगतान का प्रकार:–
सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में RTGS/NEFT के माध्यम से एचडीएफसी, बैंक खाता सं. HHFLTDUPLKWLKNWA390, IFSC कोड:-HDFC0004989 में किया जाएगा।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: –

1. संपत्ति को **"जैसा है, जहां है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित"** आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात् ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत–बयान या चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और मापन अलग–अलग हो सकते हैं।
3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिए एक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ / उचित परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं।
4. नीलामी / बोली केवल वेबसाइट **https://bankauctions.in/** के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" या सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र** द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया को ई–नीलामी मंच द्वारा व्यवस्थित और समन्वयित करेगा।
5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट **कनेक्टिविटी** खुद बोली लगाने वाले को सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार / सेवा प्रदाता को इंटरनेट **कनेक्टिविटी**, नेटवर्क समस्याओं, सर्वर के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेतु तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र, 605ए, छठी मंजिल, मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद – 500038** (संपर्क व्यक्ति: श्री भारती राजू फोन नं. **8142000735**, श्री सुबाराव फोन नं. **8142000061** ईमेल: **subbarao@bankauctions.in**, ईमेल: **bharathi@bankauctions.in** श्री उत्कर्ष आदेश फोन नं. **9515160064** ईमेल: **adesh@bankauctions.in** से संपर्क कर सकते हैं। ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://bankauctions.in/** पर पहले से पंजीकृत कर लेना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें।
7. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में Demand Draft/NEFT/RTGS के माध्यम से आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10 प्रतिशत की वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) **02-08-2024** तक या उससे पहले जमा करना होगा।
8. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (**https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध प्रारूप), हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी / जी–2 / 2 एवं टीसी / जी–5 / 5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010 के प्राधिकृत अधिकारी को **02-08-2024** को सायं 05:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में ईएमडी प्रेषण के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे के ऊपर "श्री शानू रस्तोगी, श्री सुरेश रस्तोगी और श्री कंचन रस्तोगी की संपत्ति के लिए ऋण खाता सं. UP/LKW/LKNW/A000000390 (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली" लिखा जाना चाहिए।
9. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं के विवरण की पुष्टि करेगा (जिन्होंने आरक्षित मूल्य के ऊपर और ऊपर अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान सुरक्षित लेनदार) सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र** को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर केवल उन बोलीदाताओं को ऑनलाइन इंटर–से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सक्षम बनाता है।
10. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक "10" मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात ई–नीलामी का अंतिम समय स्वचालित रूप से प्रत्येक बार 10 मिनट तक बढ़ाया जाएगा यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर की जाती है।
11. एक बार की गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा अकेले की गई समझी जाएंगी।
12. ई–नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह क्षेत्रीय कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी / जी–2 / 2 एवं टीसी / जी–5 / 5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010 को और सेवा प्रदाता दोनों को ई–मेल द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा।
13. सफल बोलीदाता बिक्री के उसी दिन बोली राशि (ईएमडी सहित) का 25% और शेष बोली राशि का 75% DD/Pay order/NEFT/RTGS/Cheque द्वारा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करेगा।
14. सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि के भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
15. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में और समय दे सकता है।
16. सफल बोलीदाता टीडीएस (बिक्री से बाहर) के लिए बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और अधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करेगा और ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस की ओर 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 15 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे अन्य विस्तारित समय के भीतर, जिसके गिरने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. नगरपालिका / पंचायत कर, बिजली देय (यदि कोई हो) और किसी अन्य प्राधिकरण देय राशि (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले किया जाना है। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देय राशि को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जाएंगी।
18. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल संपूर्ण खरीद मूल्य / बोली राशि जमा करने और सभी करों / शुल्कों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।
19. कानूनी शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और किसी भी प्रकार के अन्य आकस्मिक प्रभार नीलामी खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा।
20. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही को स्थगित / रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री को बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले बाद की तारीख में स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर